जयसिंह अग्रवाल
पूर्व मंत्री
छ.ग. शासन

''शांति निवास''
अग्रसेन भवन के सामने
वार्ड क्र.-04, दुरपा रोड कोरबा
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495678
फोन नं. 94252-24712

पत्र क्र. KRB/RES/24-25/026 दिनांक : 12/04/2025

प्रति,
श्री मनसुख लाल मंडाविया जी,
मान. श्रम मंत्री, भारत सरकार,
नई दिल्ली

विषय : **छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिला में वेदांत समूह द्वारा संचालित भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (बालको) संयंत्र की विस्तार परियोजना से शांतिनगर के प्रभावित परिवारों को मुआवजा, पुनर्वास एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाने के संबंध में।**

—0—

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिला में वर्ष 1965 में **भारत सरकार** द्वारा **सार्वजनिक क्षेत्र** का **उपक्रम** के तौर पर **भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (बालको)**, की स्थापना की गई थी। **वर्ष 2001** में केन्द्र सरकार की विनिवेशीकरण की नीति के तहत इस कम्पनी की **51 प्रतिशत** हिस्सेदारी स्टरलाईट कम्पनी को सौंप दी गई थी जिसे अब **वेदांत समूह** के नाम से जाना जाता है। वेदांत समूह ने संयंत्र विस्तार परियोजना के अन्तर्गत **1200 मेगावॉट** क्षमता का **ताप विद्युत गृह** स्थापित करने का कार्य आरंभ किया। बालको प्रबंधन द्वारा इसी विद्युत गृह के महत्वपूर्ण व अनिवार्य हिस्सा, **कूलिंग टॉवर** की स्थापना के लिए बालकोनगर आवासीय परिसर से लगे हुए **शांतिनगर बसाहट क्षेत्र** के नजदीक कूलिंग टॉवर का निर्माण कार्य वर्ष 2010–11 में आरंभ किया गया। वर्ष 2010 से 2013 के बीच प्रभावित परिवारों द्वारा कई बार किए गए उग्र आंदोलन को देखते हुए प्रबंधन द्वारा अनेक बार बैठकें आयोजित की गईं और हर बार समस्याओं के निदान के लिए मौखिक आश्वासन देकर कुछ समय के लिए उन्हें टाल दिया जाता रहा है। संयंत्र विस्तार परियोजना से सीधे तौर पर प्रभावित होने वाले परिवारों द्वारा विरोध स्वरूप अनवरत धरना–प्रदर्शन जारी रखने एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों के अलावा कोरबा जिला प्रशासन के हस्तक्षेप करने पर कूलिंग टॉवर का प्रचालन आरंभ हो जाने के बाद उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्यगत परेशानियों को ध्यान में रखते हुए, **वर्ष 2013** में पहली बार त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गई जिमसें जिला प्रशासन, बालको प्रबंधन और **शांतिनगर** के प्रभावित सभी 86 परिवारों के सदस्य शामिल हुए। उक्त महत्वपूर्ण बैठक में उनकी समस्याओं और समाधान के संभावित विकल्पों पर विस्तार से चर्चा हुई।

जयसिंह अग्रवाल
पूर्व मंत्री
छ.ग. शासन

''शांति निवास''
अग्रसेन भवन के सामने
वार्ड क्र.-04, दुरपा रोड कोरबा
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495678
फोन नं. 94252-24712

पत्र क्र. ..... दिनांक : .....

बैठक में बनी सहमति के प्रमुख बिन्दुओं के आधार पर बालको प्रबंधन के तत्कालीन परियोजना प्रमुख श्री जे.के. मुखर्जी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, कोरबा को सम्बोधित व कलेक्टर जिला कोरबा एवं मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन को प्रतिलिपि प्रेषित करते हुए दिनांक **14 मई 2013** को **'शांतिनगर पुनर्वास समिति'** के साथ बैठक कर शांतिनगर के 86 परिवारों की प्रमुख समस्याओं के संबंध में प्रमुख बिन्दुओं पर विस्तार से की गई चर्चा उपरांत बनी सहमति व बालको प्रबंधन के मंतव्य को स्पष्ट करते हुए अवगत कराया गया।

श्री जे.के. मुखर्जी के पत्र के अनुसार शांतिनगर के रहवासियों के विस्थापन एवं पुनर्वास आदि पर समझौते के रूप में प्रमुखता से 3 विकल्पों पर सहमति बनीः–

(अ) दिनांक 6 अप्रैल, 2013 को आयोजित बैठक में छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव के परामर्श के अनुसार, बालको द्वारा निजी भूमि की पहचान कर वहां आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही शांतिनगर के रहवासियों को पुनर्वासित करे।

(ब) उद्योग स्थापना के लिए शासन द्वारा उपलब्ध करवाई गई भूमि में से शांतिनगर के रहवासियों के लिए पुनर्वास हेतु भूमि बालको उपलब्ध कराए एवं शासन के दिशा–निर्देशों के अनुरूप संपत्ति एवं अन्य साजो–सामान हेतु मुआवजा का भुगतान करे।

(स) जिला प्रशासन के दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ शासन की विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार उपयुक्त मुआवजा की गणना कर ली जायेगी जिसमें भूमि का मूल्य भी समाहित होगा तथा इसे प्राप्त कर शांतिनगर के निवासी स्वयं ही पुनर्वासित हो जाएं।

शासन की नीतियों के अनुरूप व्यपवर्तित व सामान्य भूमि तथा कच्चा व पक्का मकान आदि की श्रेणियों के आधार पर मुआवजा राशि का निर्धारण उभय पक्षों की सहमति से किया गया। मुआवजा राशि का भुगतान दो से तीन किश्तों में किया जाना निर्धारित किया गया और यह स्पष्ट किया गया कि दूसरी अथवा अंतिम किश्त प्राप्त कर रहवासी द्वारा भूमि की रजिस्ट्री बालको के पक्ष में कर दी जायेगी और उसके साथ ही उस व्यक्ति का सम्पत्ति पर से कब्जा स्वतः शून्य हो जाएगा।

इस प्रकार बनी सहमति के आधार पर बालको प्रबंधन द्वारा लगभग 67 परिवारों को मुआवजा आदि की सम्पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया गया और उनसे बालको के पक्ष में जमीन की रजिस्ट्री भी करवा ली गई। शेष 19 परिवारों में से मुआवजा की निर्धारित राशि का आंशिक भुगतान ही हो पाया है और दूसरी अथवा अंतिम किश्त का भुगतान लंबित रखा गया है जिसकी वजह से वे परिवार आज भी वहीं रहने के लिए मजबूर हैं।

जयसिंह अग्रवाल
पूर्व मंत्री
छ.ग. शासन

''शांति निवास''
अग्रसेन भवन के सामने
वार्ड क्र.-04, दुरपा रोड कोरबा
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495678
फोन नं. 94252-24712

पत्र क्र. ..... दिनांक : .....

इसी दौरान कम्पनी प्रबंधन ने एक कुटिल चाल चलते हुए समिति के कुछ सदस्यों को अपने पक्ष में मिला लिया और उनके बीच दरार डालकर एक फर्जी समिति **'जनमन उत्थान समिति'** बनवाई और उनसे प्रबंधन के हक में अनेक महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सहमति पत्र प्राप्त कर लिया। जनमन उत्थान समिति के सदस्यों को बालको प्रबंधन द्वारा व्यक्तिगत लाभ पहुंचाया गया जिसकी वजह से प्रबंधन जब जैसा चाहता, समिति के सदस्यों को आगे करके अपने पक्ष में उनसे सहमति पत्र प्राप्त करता है और शांतिनगर पुनर्वास समिति के ऊपर अनेक प्रकार के मुकदमें भी दायर करवाता है।

शांतिनगर पुनर्वास समिति द्वारा पूर्व में की गई शिकायतों के आधार पर कलेक्टर कोरबा द्वारा सक्षम प्राधिकारी अपर कलेक्टर और एसडीएम की संयुक्त टीम को जांच अधिकारी नियुक्त करते हुए शांतिनगर पुनर्वास प्रकरण पर विस्तार से जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। कलेक्टर कोरबा द्वारा गठित जांच दल में अपर कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा तहसीलदार, क्षेत्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिकारी, सहायक श्रम आयुक्त उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अधिकारी आदि शामिल हुए।

जांच दल द्वारा विभिन्न कसौटियों पर की गई जांच का परिणाम एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 7A(10), 32(A), 38(1)(B), 67-4(B), के साथ ही कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 109 सहपठित नियम 119, 120, छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली 1962 के नियम 131.A(1)(C)(i), कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 107 सहपठित छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली 1962 के नियम 127 (2)(1), कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 41-C(a) में कारखाना प्रबंधक द्वारा अनुपालन योग्य विहित प्रावधानों का **स्पष्ट तौर पर उल्लंघन** किया जाना पाया गया।

प्रभारी उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा एवं अन्य सदस्यों की टीम द्वारा किए जांच में :–

कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 7A(1), 38(1)(B), 41-C(a), छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली 1962 के नियम 67-(B), कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 41 सहपठित नियम 73 (1), कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 109 सहपठित नियम 119 एवं 120 (1), छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली 1962 के नियम 131–A(1)(C)(i) एवं कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 107 सहपठित छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली 1962 के नियम 127 (2) (1) में कारखाना प्रबंधक द्वारा अनुपालन योग्य विहित प्रावधानों का **स्पष्ट उल्लंघन** किया जाना पाया गया।

जयसिंह अग्रवाल
पूर्व मंत्री
छ.ग. शासन

''शांति निवास''
अग्रसेन भवन के सामने
वार्ड क्र.-04, दुरपा रोड कोरबा
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495678
फोन नं. 94252-24712

पत्र क्र. ..... **दिनांक** : .....

उपर्युक्त के अलावा जांच प्रतिवेदन में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लगभग 65 हेक्टेयर क्षेत्र में से लगभग 27 हेक्टेयर भूमि से बड़े झाड़ के जंगलों का सफाया बालको प्रबंधन द्वारा किया जाना पाया गया। शांतिनगर क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता और ध्वनि प्रदूषण की दृष्टि से भी जांच की गई जिसे स्वास्थ्य के नजरिए से ग्राह्य मापदंडों के विपरीत बहुत गंभीर स्तर का मापा गया।

उपर्युक्त विसंगतियों के संबंध में बालको प्रबंधन को जिला प्रशासन के संबंधित विभागों द्वारा अनेक पत्र जारी किए गए लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि बालको प्रबंधन के ऊपर किसी भी नियम और कानून का पालन करने की कोई बाध्यता व भय नहीं है।

अन्य कई विषयों पर विभिन्न न्यायालयों यथा, जिला न्यायालय, एनजीटी, माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में अनेक मामले विचाराधीन हैं जिनपर माननीय न्यायालयों द्वारा निर्णय लिया जाना है। यद्यपि बालको प्रबंधन द्वारा निचली अदालतों के ऐसे अनेक निर्णयों को जो बालको के पक्ष में न हों और नियमानुसार जिनका पालन किया जाना बाध्यकारी हो, लटकाए रखने की मंशा से उच्च अदालतों में चुनौती दिए जाने की परंपरा बन गई है ताकि मामला दीर्घकाल तक लंबित पड़ा रहे।

फिलहाल अदालतों में लंबित मामलों का निपटारा तो अदालतें ही करेंगी लेकिन **सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय जो रोजगार** से जुड़ा है और जिसके संबंध में बालको प्रबंधन ने कई बार लिखित में अपनी प्रतिबद्धता भी जाहिर किया है। लेकिन रोजगार प्रदान किए जाने के विषय पर अपनी ही प्रतिबद्धता का अनुपालन करने के प्रति बालको प्रबंधन की कोई मंशा नजर नहीं आती है। शांतिनगर पुनर्वास समिति द्वारा कूलिंग टॉवर से प्रभावित परिवारों की ओर से बालको प्रबंधन को हर परिवार के योग्य व सक्षम युवाओं की पूरी सूची कई बार सौंपी जा चुकी है और पूर्व में प्रबंधन के साथ बनी सहमति के आधार पर उन लोगों ने यह सहमति भी दे दिया है कि बालको कम्पनी सीधे तौर पर कम्पनी नामावली में न सही, कम्पनी के कार्यों के लिए नियोजित अन्य सहयोगी कम्पनियों में ही उन्हें रोजगार प्रदान कर दिया जाता है तो भी उनकी रोजी–रोटी की समस्या दूर हो जायेगी। वर्ष 2013 से 2024 के बीच हुई अनेक बैठकों के बाद बार–बार प्रभावित परिवारों से रोजगार हेतु योग्य युवाओं की दी गई सूची एवं बालको प्रबंधन द्वारा लिखित में दिए गए आश्वासनों के बावजूद प्रबंधन की ओर से इस महत्वपूर्ण विषय पर उदासीनता दिखाते हुए मामले को लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है। बालको प्रबंधन के सक्षम अधिकारी द्वारा मौखिक तौर पर मांग किए जाने के बाद लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व प्रभावित परिवारों में से रोजगार प्राप्ति के अभिलाषी 39 योग्य लोगों की सूची बालको प्रबंधन को सौंपी गई थी जो भी आज भी लंबित है।

जयसिंह अग्रवाल
पूर्व मंत्री
छ.ग. शासन

''शांति निवास''
अग्रसेन भवन के सामने
वार्ड क्र.-04, दुरपा रोड कोरबा
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495678
फोन नं. 94252-24712

पत्र क्र. ..... **दिनांक** : .....

इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर रोजगार प्राप्ति के लिए दावेदारी प्रस्तुत करने वाले प्रभावित परिवारों के युवाओं ने अवगत कराया है कि धीरे–धीरे उनकी उम्र भी अधिक होने लगी है और बाद में प्रबंधन द्वारा अधिक उम्र का बहाना बनाकर उन्हें रोजगार से वंचित किया जा सकता है। कम्पनी को प्रस्तुत की गई सूची के अनुसार, उन सभी को रोजगार प्रदान करने का आश्वासन प्रबंधन द्वारा दिया जाता रहा है लेकिन अभी तक किसी भी प्रभावित परिवार के सदस्य को रोजगार प्राप्त करने में सफलता नहीं मिल सकी है।

सम्पूर्ण प्रकरण में अन्य बातों के अलावा **रोजगार के मुद्दे पर आपसे विशेष आग्रह है** कि आपके विभाग द्वारा तत्काल हस्तक्षेप किया जाए और बालको प्रबंधन को प्राथमिकता के आधार पर योग्य युवाओं को बालको में स्थायी रूप से कार्य कर रही सहयोगी कम्पनियों में यथायोग्य रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कड़े निर्देश जारी करने का कष्ट करें क्योंकि **भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (बालको) में भारत सरकार की 49 प्रतिशत की हिस्सेदारी वर्तमान समय में भी कायम** है।

मुझे विश्वास है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए आपके विभाग द्वारा इस दिशा में प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।

सधन्यवाद,

जयसिंह अग्रवाल

प्रतिलिपि:

श्री विष्णुदेव साय जी,
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन – सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

———